न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
दावा बाबत आर0टी0ए0 88
प्रकरण संख्या–243/2020

रघुवीर पुत्र मुखराम जाति खाती निवासी रामपूरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनमानगढ।

वादी

बनाम्

तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादी

उपस्थिति–श्री रोहिताश चाहर अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 15.01.2021

वादी ने प्रतिवादी के विरूद्व यह दावा बाबत् घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि संयुक्त खाता में चकनं0 8 एजी जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 27/23 में कुल 7.7810 है0 आराजी में से वादी का 1/4 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है, जमाबन्दी में वादी का नाम रूघाराम दर्ज है।

वादी का नाम रूघाराम दर्ज है जबकि वादी का सही एंव वास्तविक नाम रघुवीर है जो कि वादी के पहचान–पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड आदि में दर्ज है। वादी का नाम रघुवीर है जिस बाबत ग्राम पंचायत रामपूरा उर्फ रामसरा द्वारा वादी के नाम बाबत प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है। फोटो कॉपी आधारकार्ड, पहचान–पत्र तथा राशनकार्ड व असल प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत का प्रमांण पत्र पेश है।वादी के समस्त दस्तावेजात में वादी का नाम रघुवीर दर्ज होने तथा राजस्व रिकार्ड चक 8 एजी के खाता सं0 27/23 में वादी का नाम रूघाराम अंकित रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन हो रहा है व तथा वादी अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित हो रहा है व वादी के दस्तावेजात व राजस्व रिकार्ड में दोनो नामो में भिन्नता वनी रहती है। इसलिए वादी चकनं0 8 एजी के खाता सं0 27/23 में दर्ज वादी का नाम रूघाराम के स्थान पर दुरूस्ती करवाकर रघुवीर अंकित करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादी को वादपत्र की दफा 2 में दर्ज में वादी का नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्ट्रर किया गया।प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।प्रतिवादी स्टेट द्वारा अपना जवावदावा पेश किया गया जिसमें स्टेट द्वारा कोई आपति नही की गई, स्टेट द्वारा अंकित किया गया है कि नाम दुरूस्ती से राज्यहित प्रभावित नही होते। प्रतिवादी स्टेट की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी की भूमि में वादी का नाम रूघाराम दर्ज है जबकि वादी का सही नाम रूघवीर है। इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपना नाम रूघाराम के स्थान पर रूघवीर सिंह दर्ज करवाना चाहता है जिसका स्टेट द्वारा कोई विरोध नही किया गया है।वादी के नाम की दुरूस्ती से राज्यहित प्रभावित नही होते है।वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री फरमाया जावे।

बहस सुनने के बाद प्रस्तुत दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादी के नाम से दर्ज है, जिसमें वादी का नाम रूघाराम दर्ज है, तथा इस बाबत वादी ने अपने दस्तावेजात आधारकार्ड, पहचान–पत्र तथा राशनकार्ड व ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र आदि पेश किये है जिसमें वादी का नाम रूघवीर है। वादी अपना सही नाम रूघवीर दर्ज करवाना चाहता है।वादी का वाद मात्र दुरूस्ती का है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है।उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि चकनं0 8 एजी के खाता सं0 27/23 में दर्ज वादी का नाम रूघाराम को दुरूस्त कर रूघवीर अंकित किये जाने आदेश दिये जाते है। उपरोक्त अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी।

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:–243 / 2020

रघुवीर पुत्र मुखराम जाति खाती निवासी रामपूरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनमानगढ।

वादी

बनाम्

तहसीलदार राजस्व टिब्बी। प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रोहिताश चाहर वादी मिन जामिन मुदई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चकनं0 8 एजी के खाता सं0 27 / 23 में दर्ज वादी का नाम रूघाराम को दुरूस्त कर रूघवीर अंकित किये जाने आदेश दिये जाते है।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज....X....निल....X....मुब्लिक....X....निल.......X....बाबत्.......X.......निल.......X.......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ......X....अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 15.01.2021 को जारी किया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी